भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1939

06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में देरी

1939. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बडगाम और श्रीनगर के 600 से अधिक परिवार 2011-12 में श्रीनगर हवाई अड्डे के पास करेवा दामोदर में रक्षा संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित लगभग 480 एकड़ भूमि के लिए 10 वर्षों से अधिक समय से पूर्ण मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 2012-13 में किसानों को शुरू में 4.80 लाख रुपये प्रति कनाल का भुगतान किया गया था, और तय की गई अंतिम दर 18-20 लाख रुपये प्रति कनाल के बीच थी, लेकिन आस-पास के क्षेत्रों में वर्तमान बाजार दर 2 करोड़ रुपये प्रति कनाल से अधिक होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के तहत मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन करने का विचार है - जो अब जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, जिससे प्रभावित परिवारों को संभावित रूप से अधिक मुआवजा मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग)- रक्षा मंत्रालय ने 234.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गांव करेवा दामोदर, वाथोरा और करालपोरा, जिला बडगाम (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) में अधिग्रहीत भूमि के अर्जन के लिए दिनांक 04.03.2011 को मंजूरी

प्रदान की है। भूमि के मालिकों को मुआवजा देने के लिए 181.54 करोड़ रुपये की धनराशि उपायुक्त (डीसी) बडगाम में रक्षा सम्पदा कार्यालय श्रीनगर द्वारा पहले ही जमा करी दी गई है।

तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर अचल संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन (आरएआईपी) अधिनियम, 1968 के तहत जारी फॉर्म जे अधिसूचना में प्रदर्शित अर्जित भूमि का क्षेत्रफल उक्त भूमि पर अधिग्रहित वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक पाया गया है। डीजीडीई ने उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए मामले को जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ उठाया है। फॉर्म जे अधिसूचना के तहत अपेक्षित संशोधन के किए जाने पर कलक्टर के पास जमा राशि पर विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ)- जी, नहीं। चूंकि यह भूमि जम्मू और कश्मीर आरएआईपी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत पहले से ही अधिग्रहीत है, इसलिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर), 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****